

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी0-11/लाई0-न्यूज पेपर/91/05-06 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 जून, 2006 ज्येष्ठ 29, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 710 / सात-वि-1-01(क)-17-2005 लखनऊ, 19 जून, 2006

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर दिनांक 16 जून, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

# मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

रामपुर, उत्तर प्रदेश में मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित एक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

# अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—(1) यह अधिनियम मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे। परिभाषाएं

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

- (क) ''विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद से हैं;
- . (ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड / से है;
- (ग) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य) विश्विविद्या के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;
  - (घ) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;
- (ड.) "निदेशक / प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, विद्यालक पालिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति प्रें इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;
- (च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केंन्द्र भी है;
- (छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से हैं और उसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी हैं;
  - (ज) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् से है;
  - (झ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
- (ञ) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्वानों / छात्रों के निवास से है;
- (ट) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" और कुलानुशासक का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी. परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष और कुलानुशासक से है;
- (ठ) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है:
  - (ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
- (ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;
- (ण) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;
  - (त) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालयं के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;
- (थ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, उपचार्यों, प्रध्यापकों या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;
- (द) "ट्रस्ट" का तात्पर्य सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रिजस्ट्रीकृत मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट लखनऊ, उत्तर प्रदेश से है;
- (ध) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य ट्रस्ट द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्थापित मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से है;
  - (न) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है;

3—(1) रामपुर, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी;

विश्वविद्यालय

- (2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा;
- 4—प्रायोजक संस्था, ट्रस्ट इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्ते पूरी करेगा:—

विश्वविद्यालय की स्थापना शर्ते

- (क) विश्वविद्यालय के लिये चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ या समीपस्थ भूमि को इसके स्वामित्व अधिकारी सिहत तीस वर्ष या अधिक तक के लिये विधिवत रखेगा;
- (ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा;
- (ग) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनाना;
- (घ) ऐसी अन्य शर्ते जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।
- 5—(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये ट्रस्ट को प्राधिकार के पत्र के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

- (2) राज्य सरकार, ट्रस्ट द्वारा इस आशय के अभिलेख सहित की धारा 4 में उल्लिखित सभी शर्ते पूरी कर दी गयी हैं, एक असंदिग्ध शपथपत्र प्राप्त होने पर, प्राधिकार का पत्र जारी करेगी।
  - 6-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

- (एक) उन भाषाओं को विकसित और प्रोन्नत करना जो ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा पढ़ी जाती हैं जैसे उर्दू, अरबी और फारसी;
- ं(दो) मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उनके समग्र विकास के लिये मुख्य धारा से जोड़ना, साथ ही साथ भारत के पद दलित लोगों के विकास के लिये सभी आधुनिक और श्रेण्य शिक्षा प्रदान कर उनका उत्थान करना;
- (तीन). ज्ञान की अभिवृद्धि तथा उसके प्रसार तथा अनुसंधान के प्राविधानों सिहत उच्च शिक्षा में निर्देश, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना;
  - (चार) उच्च स्तरीय बौद्धिक योग्यता का सृजन करना;
  - (पाँच) शिक्षा तथा प्रशिक्षण हेतु कला संबंधी सुविधाओं की स्थापना करना;
- (छं) अनुसंधान क्री शिक्षा की व्यवस्था करना तथा निरन्तर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत करना:
  - (सात) औद्योगिक तथा निजी संस्थाओं को परामर्श उपलब्ध कराना;
- (आठ) विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य के लिये रामपुर में मुख्य निवेश की स्थापना करना;
- (नौ) परीक्षा अथवा मूल्यांकन के किसी अन्य पद्धित के आधार पर उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियाँ संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
- (दस) यह सुनिश्चित करना कि उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर, उस स्तर से निम्नतर नहीं हैं जो विभिन्न नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित की गई हैं ;

(ग्यारह) राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्यें क्री अनुसरण करना;

(बारह) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा प्रबन्ध तथा अन्या व्यवस्त पाट्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करना और उनको प्रोन्नत करना; 7-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :--

विश्वविद्यालय की शक्तियां

- (क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय्द् अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञानकी अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;
- (ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबन्ध और अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमें की, जिनके अन्तर्गत धार्मिक भाषायें, संस्कृति, दर्शन और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमें आदि भी है, शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रोन्नित करना:
- (ग) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धित के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना:
- (घ) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;
- (ङ) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण, जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे पाठ्यक्रम भी हैं जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करे, प्रदान करना;
- (च) विश्वविद्यालयं द्वारा अपेक्षित डाक्टर पद, आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;
- (छ) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (ज) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरतः ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास विशिष्ट ज्ञान हो, की स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति करना या उन्हें लगाना;
- (झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;
- (ञ) अनुसंधान और शिक्षा के लिए विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;
- (ट) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पंदक और पारितोषिकों की संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना;
- (ड) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपवन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैया विश्वविद्यालय आवश्यक समये

- (ढ) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी संस्था, विभाग या विद्यालय को केन्द्र घोषित करना:
- (ण) विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है:
  - (त) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका मुगतान प्राप्त करना;
- (थ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नित के लिए व्यवस्था करना:
- (द) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
- (ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना; और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा : विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए;
- (न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;
- (प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए सदान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का, अर्जन, धारण, प्रबन्धन और निपटारा करना;
- (फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट की कार्यसमिति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिमूति, उसके धन पर उधार लेना, बन्धक रखना या आडमान करना;
- (ब) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों।

8—विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और प्रत्येक वंश, मत, जाति, वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अध्यापक, कर्मचारिवृन्द के सदस्य या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार बनाने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे:

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलिष्यमें के लिए होगा

परन्तु इस धारा की, कोई बात विश्वविद्यालय को मुस्लिम समुदाय के ऐसे आरक्षण के लिए समुचित उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी जो पचास प्रतिशत से अनाधिक हो।

9--(1) कुलाध्यक्ष की नियुक्ति ट्रस्ट द्वारा स्वंय की जायेगी।

कुलाध्यक्ष

- (2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, शालीनता और समुचित कार्यप्रणाली के मानक को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी केन्द्र या संस्थाओं, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पालीटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों क्रो निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (3) कुलाध्यक्ष को कुलपति द्वारा उसे निर्दिष्ट विवाद के मामलों में कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
  - 10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :--

विश्वविद्यालय के अधिकारी

- (एक) कुलाधिपति
- (दो) कुलपति
- (तीन) प्रति-कुलाधिपति
- (चार) संस्थाओं के निदेशक / प्रधान

(पांच) कुलसचिव;

(छः) कोषाध्यक्षः

(सात) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(आठ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्षः

(नौ) कुलानुशासक;

(दस) वित्त अधिकारी; और

(ग्यारह) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं ।

# कुलाधिपति

- 11-(1) ट्रस्ट का अध्यक्ष विश्वविद्यालय का तब तक के लिए कुलाधिपति होगा जैसा ट्रस्ट द्वारा समय -समय पर निर्धारित किया गया हो।
- (2) कुलाधिपति अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और विश्वविद्यालय को शासित करेगा।
- (3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।
  - (4) कुलपति ऐसे शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा विहित किया जाय।

# कुलपति

- 12-(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ट्रस्ट की पूर्व सहमति से ऐसी अवधि के लिये की जाएगी जैसी विहित की जाय।
- (2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी एवं शैक्षिक अधिकारी होगा और कार्य परिषद और विद्या परिषद का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।
- (3) यदि कुलपित की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत करायेगा:

परन्तु यदि सम्बन्धित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपित द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह ऐसे दिनांक से, जिस पर ऐसे कार्यवाही के आधार पर विनिश्चय उसे संसूचित किया जाय, एक माह के अन्तर्गत कुलाध्यक्ष को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे और इस पर कुलाध्यक्ष कुलपित द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है, या उसे उपान्तरित कर सकता है या उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो विहित किया जाय ।

### प्रति-कुलपति

- 13—(1) प्रति-कुलपित की नियुक्ति ट्रस्ट के परामर्श से ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय ।
- (2) प्रति-कुलाधिपति, जैसे और जंब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।
  - (3) प्रति कुलपति, कुलाधिपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेगा।

# कोषाध्यक्ष

- 14—(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा, जैसा विहित किया जाय ।
- (2) कोषाध्यक्ष वार्षिक बजट, वार्षिक सम्परीक्षा, निधियों आदि के आवंटन सहित समस्त वित्तीय मामलों में कुलपति की सहायता करेगा।

15-(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जैसी विहित की जाय।

कुलसचिय

- (2) कुलसचिव की यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए।
  - (3) कुलसचिव कार्य परिषद और विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा।

16—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति इस रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा, जैसा विहित किया जाय। संकायों के संकायाध्यक्ष

17—(1) वित्त अंधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा, जैसा विहित किया जाय। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

18—विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियों और कर्तव्यों की रीति वहीं होगी जैसी विहित की जाए । अन्य अधिकारी

19-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :--

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- (एक) कोर्ट;
- (दो) कार्य परिषद;
- (तीन) विद्या परिषद;
- (चार) वित्तः समिति;
- (पांच) संकाय बोर्ड;
- (छः) प्रवेश समिति;
- (सात) परीक्षा समिति;
- (आठ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समितियाँ
- (नौ) नियोजन बोर्ड; और
- (दस) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएं ।
- 20—(1) कोर्ट का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित किया जाए ।

कोर्ट

- (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात :--
  - (क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय—समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली उसके उन्नयन और विकास के लिए उपायों का सुझाव देना;
  - ्र(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर विचार करना और संकल्प पारित करना और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना;
  - (ग) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में कुलाध्यक्ष को परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिए निर्दिष्ट किया जाय: और
    - (घं) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो विहित किए जायं।
  - 21-(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

कार्य परिषद

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं ।

विद्या परिषद

- 22—(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इः अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कृत्ये कार-बार और क्रियाकलापों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
- (2) विद्या परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियाँ और कर्तव्य वहीं होंगे जैसा विहित किये जायं ।

वित्त समिति

- 23—(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखमाल करने के लिये विश्वविद्यालय का प्रधान वित्तीय निकाय होगी।
- (2) वित्त समिति का संविधान, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

नियोजन बोर्ड

- 24-(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा।
- (२) नियोजन बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियाँ और .कर्तव्य वही होंगे जैसे विहित किये जायं ।

विश्वविद्यालय के संकाय और अन्य प्राधिकारी 25—संकाय परिषदों, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं, का गठन शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

परिनियम बनाने की शक्ति 26--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात :-

- (क) ट्रस्ट, कुलाधिपति की सहमति से परिनियम बना सकती है
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कृत्युः
- (ग) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद का निर्वाचन और निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना ओर उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले, जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति, ग्रक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिकं कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;
- (च) किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए किसी. विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारीवृन्द को लगाया जाना ;
- (छ) पेंशन, बीमा और भविष्य निधि आदि के लिए उपबन्ध सहित कर्मचारियों की सेवा शर्ते, प्रशासनिक नियंत्रण सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आदि:
- (ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;
  - (झ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (ञ) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना;
- (ट) उपाधियां, अधिछात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना;
  - (ठ) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;
- (ड) संकायों, विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं / महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनका समाप्त किया जाना;

- (ढ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या आधेकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और
- (ण) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों ।

27—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेश कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद द्वारा बनाये जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्ः—

अध्यादेश बनाने की शक्ति:

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन:
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लामाओं और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाटयकम
  - (ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम;
- (घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना, और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले माध्यमः
- (ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रमार्य शुल्क
- (च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्ते:
- (छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और परीक्षकों और अनुसीमकों के कर्तव्य भी है;
  - (ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्ते
- (झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष अध्ययन पाउयकमों को विहित करना:
- (স) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ ;
- (ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;
- (ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग और सहभागिता जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, की रीति;
- (ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिए आवश्यक समझी जाए, के सृजन संरचना और कृत्य;
- (ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीकारों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;
- (ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्ते, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो;

28—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाय और कोर्ट अपने वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर दिचार करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगा।

वार्षिक लेखा

- 29-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलनपत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अनिधक अन्तराल धर् की जायेगी।
- (2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की प्रति कार्य परिषद के पर्यवेक्षेणें सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।
- (3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा किये गये पर्यवेक्षणों को कोर्ट और का परिषद के संज्ञान में लाया जायेगा और कार्य परिषद द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चर्रि. पर्यवेक्षण, यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

कर्मचारियों की सेवा की शर्ते

- 30—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार् नियुक्त किया जायेगा ।
- (2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कार्य परिषद को निर्दिष्ट किया जायेगा जो कर्मचारी को सुनवाई क अवसर देने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।
- (3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद के आदेश के विरुद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को अपील कर सकता है।
- (4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।
- (5) कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा विनिश्चंय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं होगा।

अपील करने का अधिकार

- 31—(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसे एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से विवर्जित कर दिया गया हो, लिखित रूप में अपने द्वारा ऐसे संकल्प की प्रति या ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर कुलपित को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।
  - (2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी मविष्य निधि और पेंशन 32—विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाय, ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसी वह उचित समझें।

विश्वविद्यालय और निकायों के गठन के बारे में विवाद

33—यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा ।

समितियों का गठन

34—जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनेयमों द्वारा सिमितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हों वहां ऐसी सिमितियाँ अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्यों से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, गठित होंगी।

रिक्तियों का भरा जाना 35—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, नामित या सहयोजित किया था, भरा जायगा । ऐसी रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति ऐसे शेष पदावधि के लिए ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए वह नियुक्त या सहयोजित किया गया है।

36-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी 🐠 अम्म निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही र कार्यवाही की उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं

37-किसी ऐसी बात के लिए, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गई है या की जाने के लिए तात्पर्यित है. विश्वविद्यालय के किसी निकाय अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी ।

वाद का वर्जन

38-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के अधिपत्य में हो, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दरतावेज को या रिजस्टर में प्रविष्ट की विद्यमानता प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जाएगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्त्त की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की

39-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश मुद्रित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा ।

परिनियम और अध्यादेशों का प्रकाशन

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने के बाद यथाशीघ प्रवृत्त किया जाएगा ।
- 40-(1) विश्वविद्यालय, कम से कम दस लाख रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढाया जा सकेगाः

स्थायी विन्यास निधि

- (2) विश्वविद्यालय की स्थायी विन्यासं निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जायं, निवेश करने की शक्ति होगी;
- (3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि की अन्तरित कर सकेगा:
- (4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।
- 41-(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित सामान्य निधि धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात:--
  - (क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;
  - (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;
  - (ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान; और
  - (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ।
- (2) विकास निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिए किया जायेगा ।

42-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात:-

विकास निधि

- (क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय;
- (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई समस्त धनराशि;

- (ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान:
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया जो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और
  - (ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।
- (2) विकास निधि में समय—समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

43—धारा—41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियाँ कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

शुल्क

44-विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।

राज्य सरकार की शक्ति

45--राज्य सरकार की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :--

- (क) इस अधिनियिम या उसके अधीन बनाये गये परिनियंमों या अध्यादेशों द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित किसी मामेले के सम्बन्ध में निर्देश जारी करनाः
  - (ख) किसी विषय पर परिनियम बनाने के लिए आदेश देना।

विश्वविद्यालय का विघटन

- 46—(1) विश्वविद्यालय राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिंखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है।
- (2) उपधारा—(1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यकमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यकमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

- 47—(1) धारा 45 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा।
- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ज़िया जाना

- 48—(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो उचित समझें, किन्तु जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।
- (2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्ट्या कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझें।
- (3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्धः इस अधिनियम के उपवन्धों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।

- (4) जहां राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिए कोर्ट को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है. वहां वह अधिसूचना द्वारा यथारिथित कोर्ट को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।
- (5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्:—
  - (क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,
    - (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,
    - (ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,
    - (घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,
    - ..(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।
- (6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध किया गया है या इस अधिनियम के उपवन्धों का उल्लंघन किया गया है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे निष्कर्षों को राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उक्त सदनों के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित कराया जायेगा उसके पश्चात इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की जा सकेगी।

49-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपवन्धों से असंगत न हों जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों नें निदेश देने की शक्ति

50—(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जहां तक संस्थाओं का प्रबन्ध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालाविध जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोग के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे:

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

परन्तु- इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई. आदेश नहीं किया जायेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपित्त नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किताई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपक्षित नहीं था।

# उददेश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में समाज के एक विशेष वर्ग द्वारा उर्दू मातृ-भाषा के रूप में बोली जाती है। उर्दू भाषा को इस प्रकार से विकसित करने की आवश्यकता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उर्दू साहित्य में जिसके अन्तर्गत अरबी और फारसी भाषायें भी हैं, अपने अध्ययन को उच्चतर अध्ययन के स्तर तक जारी रख सकें। राज्य के नियंत्रण में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, जिसमें उर्दू, अरबी या फारसी भाषा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए उर्दू, अरबी या फारसी भाषा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए उर्दू, अरबी या फारसी भाषा के उच्चतर अध्ययन और उसमें अनुसंघान कार्य की सुविधा दी जा सके। मौलाना मुहम्मद अली जौहर द्रस्ट, लखनऊ द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रायोजित किया गया है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त द्रस्ट द्वारा प्रायोजित एक राज्य विश्वविद्यालय की, जिसे मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर कहा जायेगा, स्थापना करके छात्रों को उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के अध्यापन एवं शोध के द्वारा उन्नत ज्ञान, प्रज्ञा एवं समझ को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

तद्नुसार मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से राम हरि विजय त्रिपाठी; प्रमुख सचिव।

# No. 710/VII-V-1-1(Ka)-17-2005 Dated Lucknow, June 19, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Muhammad Ali Jauhar Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 16, 2006.

# THE MOHAMMAD ALI JAUHAR UNIVERSITY ACT, 2005

(U.P. Act N0 19 of 2006).

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ΑN

ACT

to establish and incorporate a Teaching University sponsored by Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust at Rampur in Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

- 1.(1) This Act may be called the Mohammad Ali Jauhar University Act, 2005.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires :--
- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "Board" means the Board of Studies and the Planning Board etc. of the University;
- (c) "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" means respectively the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor of the University;

- (d) "Court" means the Court of the University;
- (e) "Department" means a Department of Studies, and includes a Center of Studies and Research;
- (f) "Director/Principal" means the Head of an Institution, College, School, Polytechnic and Industrial Training Institute or the person appointed for the purpose to act as such in his absence;
- (g) "Employee" means any person appointed by the University, and includes teachers and other staff of the University;
- (h) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
  - (i) "Faculty" means the Faculty of the University;
  - (j) "Hostel" means Scholars/Students Hostel of the University;
- (k) "Institution" means an Academic Institution, established or maintained by the University;
  - (1) "Prescribed" means prescribed by Statutes;
- (m) "Records and Publications" mean the Records and Publications of the University;
- (n) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (0) "Student" means, a student enrolled in the Register of the University;
- (p) "Teacher of the University" means a Professor, Reader, Lecturer or such other person as may be appointed for imparting education/instruction or conducting research in the University and designated as a Teacher by the Ordinances;
- (q) "Treasurer", "Registrar", "Deputy Registrar", "Finance Officer", "Controller of Examinations", "Librarian" and "Proctor" means respectively the Treasurer, the Registrar, the Deputy Registrar, Finance Officer, Controller of Examinations, Librarian and Proctor of the University;
- (r) "Trust" means Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust, Lucknow, Uttar Pradesh registered under the Societies Registration Act, 1860;
- (s) "University" means the Mohammad Ali Jauhar University established under this Act by the Trust;
  - (t) "Visitor" mean the Visitors of the University.
- 3.(1) There shall be established at Rampur in Uttar Pradesh a University by The University the Trust in the name of the Mohammad Ali Jauhar University.
  - (2) The University, shall be a body corporate
- 4. The sponsoring body, the Trust shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfil the following conditions, namely:-

Conditions for the establishment of the University

- (a) duly possess with title rights for 30 years or more, minimum 50 acres or contiguous land earmarked for the University;
- (b) construct on the land referred to in clause (a) buildings of at least 24,000 sq. meters carpet area, out of which at least 50 per cent shall be for academic and administrative purposes;
- (c) make the Statutes and the Ordinances for the administration and functioning of the University;
- (d) such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.
- 5.(1) The University shall start operation only after the State Government issues to the Trust a letter of authorization for the commencement of the functioning of the University.

Starting of the University (2) The State Government shall issue the letter of authorization on receipt of an unambiguous affidavit along with documents by the Trust to the effect that all conditions referred to in section 4 have been fulfilled.

# Objects of the University

- 6.(1) The Objects of the University shall be,-
- (i) to develop and promote the languages historically studied by Muslim i.e. Urdu, Arabic and Persian;
- (ii) to bring the Muslim Minority into the main stream for his overall development as well as the development of down trodden of India by imparting all modern and classical education for their upliftment.
- (iii) to provide instructions, teaching and training in Higher Education with provisions for research, advancement and dissemination of knowledge;
  - (iv) to create higher levels of intellectual abilities;
  - '(v) to establish state of the art facilities for education and training;
- (vi) to carry out teaching of research and offer continuing education programme;
  - (vii) to provide consultancy to the industry and public organization;
- (viii) to establish main campus in Rampur for all or any of the objects of the University;
- (ix) to Institute and award degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination, or any other method of evaluation:
- (x) to ensure that the standard of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by various regulatory agencies;
- (xi) to pursue any other objective as may be approved by the State Government;
- (xii) to impart and promote, the study of science and technology, medical management and other professional courses.
- 7. The University shall have the following powers, namely:-
- (a) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
- (b) to impart and promote the study of science, technology, medical, management and other professional courses including religious languages, culture, philosophy and distant educational programmes etc;
- (c) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (d) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;
- (e) to provide instruction, including correspondence and such other courses, to such persons as are not members of the University, as it may determine;
- (f) to institute Directorships, Principalships, Professorships, Readerships, Lecturerships and other teaching or academic posts required by the University and to make appointments for the same;

Powers of the University

- (g) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;
- (h) to appoint/engage persons working in any other University or Organization having specific knowledge permanently or for a specified period;
- (i) to co-operate, collaborate or associate with any other University or authority or Institution in such manner and for such purpose as the University may determine;
- (j) to establish and maintain Schools, Institutions and such other Centers, Specialized Laboratories or other Units for research and instructions as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;
- (k) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medal and prizes;
  - (1) to establish and maintain Hostels for the students of the University;
- (m) to make provision for research and advisory services, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- (n) to declare a Center, an Institution, a Department, or School, as the case may be in accordance with the Statutes;
- (o) to determine standards for admission to different courses of study in the University, which may include examination, evaluation or any other, method of testing;
  - (p) to demand and receive payment of fees and other charges;
- (q) to supervise the residences of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (r) to make special arrangements in respect of women students as the University may consider desirable;
- (s) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary by the University;
- (t) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;
- (u) to receive donations and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, for the welfare of the University;
- (v) to borrow, mortgage or hypothecate with the approval of the Executive Committee of the Trust, on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (w) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.
- 8. The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be admitted therein as a teacher, staff member student, or to hold any office therein or to graduate thereat:

University open to all classes and creeds

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making appropriate provisions for reservation of persons belonging to Muslim Community which can not exceed more than fifty per cent.

The Visitor

- 9.(1) The Visitor shall be appointed by the Trust itself.
- (2) The Visitor shall have the right to visit the University or any centre or institutions-Colleges; Schools, Polytechnics and Industrial Training Institute maintained by the University to ensure the standard of education, discipline, decorum and proper functioning of the University.
- (3) The Visitor shall have the right to take any action in the cases of dispute referred to him by the Chancellor.

#### Officers of the University

- 10. The following shall be the officers of the University:-
  - (i) the Chancellor;
  - (ii) the Vice-Chancellor;
  - (iii) the Pro-Vice-Chancellor;
  - (iv) Directors/Head of the Institutions;
  - (v) the Registrar;
  - (vi) the Treasurer;
  - (vii) the Deans of Faculties:
  - (viii) the Dean of Students' Welfare;
  - (ix) the Proctor;
  - (x) the Finance Officer; and
- (xi) such other Officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

#### The Chancellor

- 11.(1) The Chairman of the Maulana Mohammad Ali: Jauhar Trust (Registered) shall be the Chancellor of the University till such ting as determind from time to time by the Trust.
- (2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the University.
- (3) The Chancellor shall, if present, preside at the Convocation of the University held for conferring degrees.
- (4) Other powers and functions of the Chancellor shall be such as may be prescribed.

# Vice-Chancellor

- 12.(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor with the prior approval of the Trust for such period as may be prescribed.
- (2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairman of the Executive Council and the Academic Council of the University, and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decision of the authorities of the University.
- (3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters:

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Chancellor within one month from the date on which a decision on such action is communicated to him and thereupon the Chancellor may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- (4) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.
- 13.(1) The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in Consultation with the Trust in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

The Pro-Vice-Chancellor

- (2) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day functions as and when required by the Vice-Chancellor.
- (3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office during the pleasure of the Chancellor.
- 14.(1) The Treasurer shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such function as may be prescribed.

The Treasurer

- (2) The Treasurer shall assist the Vice-Chancellor in all financial matters including annual budget, annual auditing, allocation of funds etc.
  - 15.(1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed.

Registrar

- (2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other function as may be prescribed.
- (3) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of Executive Council and Academic Council.
- 16. Every Dean of a Faculty shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Deans of Faculties

17.(1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Finance Officer

- (2) The Finance Officer shall be the ex-officio Secretary of Finance Committee.
- 18. The manner of appointment and power and duties of other officers of the University shall be such as may be prescribed.

Other Officers

19. The following shall be the authorities of the University:-

Authorities of the University

- (i) the Court;
- (ii) the Executive Council;
- (iii) the Academic Council;
- (iv) the Finance Committee,
- (v) the Boards of Faculties;
- (vi) the Admissions Committee;
- (vii) the Examinations Committee;
- (viii) the Selection Committees for appointment of teachers of the University;
  - (ix) the Planning Board; and
- (x) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
- 20. (1) The constitution of the court and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.

The Court

- (2) Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following powers and functions, namely:-
- (a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the working, improvement and development of the University;
- (b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and the Annual Accounts of the University and the Audit Report on such accounts;
- (c) to advise the Visitor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
  - (d) to perform such other functions as may be prescribed.

# The Council Executives

- 21.(1) The Executive Council shall be the Principal Executive Body of the University,
- (2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.

#### The Academic Council

- 22.(1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes, co-ordinate and exercise general Supervision over the academic function, business and activity of the University.
- (2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.

#### The Finance Committee

- 23. (1) The Finance Committee shall be the Principal financial body of the University to take care of the financial matter.
- (2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed.

# Planning Board

- 24. (1) The Planning Board shall be the Principal Planning Body of the University.
- (2) The constitution of the Planning Board, term of office of its members and its other powers and duties shall be such as may be prescribed.

# Faculty and other authorities of the University

25. The constitution, powers and functions of the Boards of Faculties, the Admission committee, the examination committee and of such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University, shall be such as may be prescribed.

# Power to make statutes

- 26. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-
  - (a) the Trust may with the approval of the Chancellor make the statutes;
  - (b) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;
  - (c) the election and continuance in office of the members of the said authorities, filling of vacancies of members, and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary or desirable to provide;
  - (d) the appointment, powers and duties of the teachers and other officials of the University and their emoluments;
  - (e) the appointment of teachers of the University and other academic and administrative staff and their emoluments;

- (f) the engagement of teachers and other academic and administrative staff working in any other University or Institution for a specific period for undertaking a joint project;
- (g) the conditions of service of employees including provision for pension, insurance and provident funds etc., the administrative control and the manner of termination of service and other disciplinary action etc.;
- (h) the procedure for settlement of disputes between employees or students and the University;
  - (i) the conferment of honorary degrees;
- (j) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (k) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
  - (1) the maintenance of discipline amongst the students;
- (m) the establishment and abolition of Faculties, Departments, Centers and other constituent Institutions/Colleges etc.
- (n) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and
- (o) all other matters which may by this Act are to be, or may be, prescribed.
- 27. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances Power to shall be made by the Executive Council with the prior approval of the Chancellor which may provide for all or any of the following matters, namely:-

Ordinances

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such:
- (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
  - (c) the medium of instruction and examination;
- (d) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;
- (f) the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators:
  - (h) the conditions of residence of the students of the University;
- (i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and the prescribing of special courses of studies for them within the University;
- (j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;

- (k) the establishment of Centers of Studies, Boards of Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centers, Specialized Laboratories and other Committees;
- (1) the manner of co-operation and collaboration with other universities and authorities including learned bodies or associations;
- (m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University:
- (n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators;
- (o) Such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes;

Annual Report

- 28.(1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed by the Statutes and the Court shall consider the report in its annual meeting.
- (2) The Court shall submit the annual report to the Chancellor along with its comments, if any.

Annual Accounts

- 29.(1) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountant of repute.
- (2) A copy of the annual accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Court and the Chancellor along with the observations of the Executive Council.
- (3) Any observations made by the Chancellor on the Annual accounts shall be brought to the notice of the Court and the Executive Council and the observations, if any, shall, after being reviewed by the Executive Council, be submitted to the Chancellor.

Conditions service employees of

- 30.(1) Every employee of the University shall be appointed, engaged as per provision of the Statutes.
- (2) Any dispute arising between the University and any of the employees appointed substantively, shall be referred to the Executive Council of the University who shall decide the dispute within three months from the date of its reference after affording an opportunity to the employee of being heard.
- (3) The aggrieved employee, may file an appeal against the order of the Executive Council to the Chancellor of the University.
- (4) Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on *adhoc* or part time or casual basis shall be heard and decided finally by the head of the concerned department.
- (5) The decision of the Chancellor shall be final and no suit shall lie in any court in respect of the matters decided by the Chancellor of the University.

Right to Appeal

31.(1) Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University by the orders/resolution of the academic Council, Proctorial Board or Controller of Examination, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him in writing, appeal to the Vice-Chancellor who may-confirm, modify or reverse the decision to the aforesaid authorities or the concerned Committee, as the case may be.

- (2) Any decision by the Vice-Chancellor shall be final
- 32. The University may constitute for the benefit of its employees such pension or provident fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Employees Provident fund and pensions

33. If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as, or is entitled to be, a member or an authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Disputes as to constitution of University and Bodies

34. Where any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint Committees, such Committees shall, save as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other persons as the authority in each case may think fit.

Constitution of

35. All vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient by the person or body who appointed, nominated or co-opted the members whose place has become vacant. The person appointed or co-opted to such vacancy shall be a member of such authority or body for the remaining term for which he has been appointed or co-opted.

Filling of the Vacancies

36. No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Invalidity of Proceedings

37. No suit or other legal proceedings shall lie against any body, Officer or Employee of the University for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances.

Bar of Suit

38. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University or other documents in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima-facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein where the original thereof would, if produced have been admissible in evidence.

Mode of proof of University record

39.(1) Every Statute or Ordinance made under this Act, shall be made available in printed form.

Publication of Statutes and Ordinances

- (2) Every Statute or Ordinance made under this Act shall be enforced as soon as it is made, by the Competent Authority.
- 40.(1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees Ten Lacs which may be increased by notification issued in this behalf by the State Government from time to time.

Permanent Endowment Fund

- (2) The University shall have the power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.
- (3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.
- (4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.
- 41.(1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-

General Fund

(a) all fees which may be charged by the University;

- (b) all sums received from any other source;
- (c) all contributions made by the Trust; and
- (d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.
- (2) The moneys credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.

#### Development Fund

- 42.(1) The University shall also establish a development fund to which following moneys shall be credited, namely:-
  - (a) development fees which may be charged from students;
  - (b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;
    - (c) all contributions made by the Trust;
  - (d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being enforce; and
    - (e) all incomes received from the permanent endowment fund.
- (2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

### Maintenance of Fund

43. The funds established under sections 40, 41 and 42 shall, subject to general supervision and control of the Court, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

#### Fees

44. The fees charged for different academic programmes shall be in accordance with laws for the time being in force.

# Power of the State Government

- 45. The State Government shall have the following powers also, namely:-
- (a) to issue direction with respect to any matter required to be done by the University by or under this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder:
  - (b) to order framing of Statutes on any subject.

#### Dissolution of University

- 46.(1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitutions or incorporation, it shall give atleast six month written notice to the State Government.
- (2) On receipt of notice refered to in sub-section (1), the State Government shall made such arrangements for administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed.

#### Expenditure of the University during dissolution

- 47.(1) The expenditure for administration of the University during the taking over the liabilities of the University under section 46 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund.
- (2) If the funds referred to sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University by the State Government.

De-recognition of the University by the State Government 48.(1) Where the State Government is satisfied that the University is not functioning in accordance with the provisions of this Act on receipt of a complaint with respect to mismanagement of the University, it shall require the University to show cause within such time which shall not be less than two months, as to why the University should not be de-recognized.

- (2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub-section (1) the State Government is satisfied that a prima facie case of mismanagement or violation of the provisions of this Act, the Rules, the Statutes, the Ordinances thereunder is made out, it shall order such enquiry as it deems necessary.
- (3) For the purposes of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification, appoint any officer or authority as the enquiring authority to enquire into and report upon the allegations of mismanagement, violation of the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances or any direction issued thereunder.
- (4) Where the State Government considers it necessary or expedient to suspend the Court for the purpose of an inquiry with respect to the affairs of the University, it may, by notification, order the suspension of the Court as the case may be, and make such arrangement for the administration of the University as it considers necessary till the conclusion of the inquiry.
- (5) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall, while performing its functions under this Act have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-
  - (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
    - (b) requiring the discovery and production of any document;
    - (c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
    - (d) receiving evidence on affidavits;
    - (e) any other matter which may be prescribed.
- (6) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has been mismanaged or has violated provisions of this Act, such findings by State Government should be placed before both Houses of the State Legislatures and shall have to be passed with two third majority of the total membership of the Houses, after that a notification regarding this may be issued.
- 49. The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University.

50.(1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification addition or omission as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.
- (3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

Powers of the State Government to issue directions on policy matters

Power to remove difficulties

# STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Urdu languages is spoken as mother tongue by a particular section of the society of Uttar Pradesh. The Urdu language is required to be developed in such a way that any person of the society may continue their study to the higher stage of learning in Urdu literature including Arabi and Farasi languages. There is no University under the control of State wherein higher study or Urdu, Arabi and Farasi language and research therein could be fecilitated to the persons who are interested in Urdu, Arabi or Farasi language. The Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust, Lucknow has sponsored for the establishment of such University. It has, therefore, been decided to establish a University sponsored by the said Trust to be known as Mohd. Ali Jauhar University at Rampur in the State of Uttar Pradesh to provide advance knowledge and wisdom and understanding by teaching and research in Urdu, Arabi and Farasi languages to the scholar.

The Mohd. Ali Jauhar University Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,
RAM HARI VIJAY TRIPATHI

Pramukh Sachiv.